

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल-462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/राशिके/आरटीई/2026/1472

भोपाल, दिनांक 27.02.26

प्रति,

- 1- समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश
- 2- समस्त जिला परियोजना समन्वयक,
जिला शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश

विषय:-शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर-अनुदान प्राप्त मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के उद्देश्य से सत्र 2026-27 के निःशुल्क प्रवेश की निम्नानुसार कार्यवाही की जाना है।

1. निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया हेतु की जाने वाली कार्यवाही:-प्रवेश हेतु पात्र बच्चों के अभिभावक अपने ग्राम/वार्ड, पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस के गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में पोर्टल पर कक्षावार प्रदर्शित स्कूलों में से न्यूनतम 03 स्कूलों तथा अधिकतम 10 स्कूलों का चयन कर निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदक की समग्र आईडी दर्ज करके एवं आधार सत्यापन करके ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकेंगे। आवेदन के पश्चात् निर्धारित तिथि एवं निर्धारित सत्यापन केन्द्र पर मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत पात्र पाये गये आवेदकों को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चयनित विद्यालयों में से अशासकीय विद्यालय का आवंटन किया जायेगा।

समय सारणी निम्नानुसार है:-

क्र.	गतिविधियाँ	समय-सीमा
1	निःशुल्क प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल एवं उनमें उपलब्ध कक्षा की सीट का पोर्टल पर प्रदर्शन	दिनांक 09.03.2026 से
2	पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार	दिनांक 13.03.2026 से दिनांक 28.03.2026 तक
3	आवेदन पश्चात् सत्यापन केन्द्र (शासकीय जनशिक्षा केन्द्र) में सत्यापन कराना	दिनांक 14.03.2026 से दिनांक 30.03.2026 तक
4	रेण्डम प्रक्रिया से ऑनलाईन लॉटरी द्वारा अशासकीय विद्यालय का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को एसएमएस द्वारा सूचना।	दिनांक 02.04.2026
5	आवंटन उपरांत अशासकीय स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होना एवं स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग	दिनांक 03.04.2026 से दिनांक 15.04.2026 तक

प्रथम चरण के उपरांत रिक्त रह गयी सीटों में द्वितीय चरण के माध्यम से आवंटन किया जायेगा।

2. **प्रवेश के लिये पात्रता एवं दस्तावेज:**—शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अनुसार कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश हेतु आवश्यक पात्रता तथा दस्तावेज के संबंध में निर्देश:—

2.1 प्रवेश के लिये पात्रता:—

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत ऐसे बच्चे पात्र होंगे जिनके अभिभावक निम्न वर्ग से संबंधित हों:—

वंचित समूह:—

- अनुसूचित जाति,
- अनुसूचित जनजाति,
- वनभूमि के पट्टाधारी परिवार,
- विमुक्त जाति
- दिव्यांग बच्चे (मैंडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार)
- HIV ग्रस्त बच्चे

कमजोर वर्ग:—

- गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे
- अनाथ बच्चे (राज्य शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग में शामिल किया गया है)
- कोविड-19 से माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खादय सुरक्षा के लिये मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही। इस योजना में निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे:—
 - 1 परिवार से अभिप्राय पति-पत्नी और उन पर आश्रित बच्चों से है,
 - 2 माता-पिता की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो या
 - 3 माता पिता का निधन पूर्व में हो गया था उनके वैध अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो या
 - 4 माता-पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड-19 से मृत्यु हुई है।
 - 5 कोविड-19 से मृत्यु का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है, जो 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि में हुई।
 - 6 बाल हितग्राही के मामले में संरक्षक का चिन्हांकन योजना के अन्तर्गत कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

2.2 आयु सीमा के संबंध में पात्रता :-

नवीन शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा अनुरूप आयु निर्धारित की गयी है। नवीन शिक्षा नीति के अनुसार आवेदन करने हेतु कक्षा अनुरूप स्कूलों में प्रवेश हेतु आयु की गणना निम्नानुसार तालिका अनुसार होगी। सत्र 2026-27 के प्रवेश हेतु आवेदक की आयु की गणना हेतु प्री-प्रायमरी कक्षाओं (नर्सरी, के.जी.-1) के लिये न्यूनतम आयु की गणना, 31 जुलाई 2026 तथा कक्षा 1 के लिये 30 सितम्बर 2026 की स्थिति में जायेगी।

क्रमांक	प्रवेश हेतु कक्षा	निर्धारित आयु
1	नर्सरी	न्यूनतम आयु 03 वर्ष एवं अधिकतम आयु 04 वर्ष 06 माह
2	केजी-1	न्यूनतम आयु 04 वर्ष एवं अधिकतम आयु 05 वर्ष 06 माह
3	कक्षा-1	न्यूनतम आयु 06 वर्ष एवं अधिकतम आयु 07 वर्ष 06 माह

सत्यापन के समय आयु के संबंध में मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, मूल प्रति से मिलान न होने की स्थिति में अथवा मूल प्रति प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदन अपात्र माना जायेगा।

2.3 प्रवेश के लिये आवश्यक दस्तावेज :-

वंचित समूह

2.3.1 वंचित समूह में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/विमुक्त जाति के लिए बच्चों के पालक/अभिभावक के राशन कार्ड में उल्लेखित जाति या अन्य कोई शासकीय दस्तावेज जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/विमुक्त जाति होने का उल्लेख हो प्रारंभिक दस्तावेज मान्य होगा।

2.3.2 यदि किसी बच्चे के भाई/बहन का जाति प्रमाण पत्र है तो वह भी प्रारंभिक दस्तावेज के रूप में मान्य होगा। यदि पालक/अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो ऐसी स्थिति में परिवार के मुखिया के दस्तावेज मान्य होंगे।

2.3.3 विमुक्त जाति (विमुक्त जाति में शामिल है-बंजारा, हाबुडा, भाटु, चन्द्रवेदिया, बैरागी, कंजर, सांसी, बनछड़ा, मोघिया, कालबेलिया, भानमत, बगरी, नट, पारधी, बेदिया, कुचबंदिया, बिजोरिया, कबूतरी, सन्धिया, पासी, धनगर एवं सनोरिया) में शामिल पालक के बच्चे।

2.3.4 बच्चों के पालक/अभिभावक के नाम जारी वनग्राम का पट्टा या वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिकार पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा। दिव्यांग बच्चों के लिए जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा।

2.3.5 HIV ग्रस्त बच्चे होने की स्थिति में बच्चे का जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडीकल प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा।

2.4 कमजोर वर्ग

2.4.1 कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार शामिल है। अतः पालक/अभिभावक के नाम जारी वर्तमान में वैध जीवित बीपीएल कार्ड बच्चों के प्रवेश के लिए मान्य होगा। यदि दस्तावेज संयुक्त परिवार के मुखिया के नाम है तो यह दस्तावेज मान्य होगा। आवेदक का बीपीएल कार्ड जिस जिले का है केवल उसी जिले में प्रवेश आवेदन हेतु मान्य होगा। सत्यापन अधिकारी का दायित्व है कि आवेदक उसके द्वारा जिसे पात्र किया जा रहा है उसका वैध एवं जीवित बीपीएल कार्ड हो।

2.4.2 शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग की श्रेणी में मान्य किया गया है। इनके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।

2.4.3 राज्य शासन द्वारा कोविड-19 से माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खाद्य सुरक्षा के लिये मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अन्तर्गत ऐसे बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत शामिल किया गया है। योजना से संबंधित महिला बाल विकास विभाग से जारी आदेश क्रमांक 1373/2021/50-2 भोपाल दिनांक 21.05.2021 अनुसार कार्यवाही की जाये।

2.5 निवास का प्रमाण पत्र :-

निवास प्रमाण पत्र के रूप में पालक/अभिभावक के निम्नलिखित दस्तावेज मान्य होंगे:-

1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र
2. मतदाता परिचय पत्र,
3. राशन कार्ड/पात्रता पर्ची/समग्र पर्ची,
4. ग्रामीण क्षेत्र का जाबे कार्ड (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना),
5. पासपोर्ट/ड्राइविंग लायसेन्स/बिजली बिल/पानी बिल,
6. कोई अन्य शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चों के पालक/अभिभावक के निवास का पता अंकित हो।

यदि पालक/अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो परिवार के मुखिया के नाम के शासकीय दस्तावेज मान्य होंगे।

2.6 जन्मतिथि के संबंध में पात्र दस्तावेज :-

2.6.1 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।

2.6.2 जहां जन्म, मृत्यु तथा विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1886(1886का 6) के अधीन जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो वहां स्कूल में प्रवेश के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज बालक की आयु का सबूत माना जायेगा-

(क) अस्पताल/सहायक नर्स तथा प्रसाविका मिडवाइफ (ए.एन.एम.) का रजिस्टर रिकार्ड,

(ख) आंगनवाडी का रिकार्ड,

(ग) पालक या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का स्व घोषणा पत्र (बशर्ते कि बच्चे के पालक या अभिभावक को बच्चे की जन्मतिथि के सत्यापन का प्रमाण पत्र क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी, नगरीय स्थानीय निकाय या पंचायत जहां कि वह रहता है/रहती है के निर्वाचित किसी प्रतिनिधि के हस्ताक्षर से प्रवेश के छः माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में प्रवेश निरस्त माना जावेगा।)

3. प्रचार प्रसार:-

3.1 अशासकीय स्कूल द्वारा स्वयं की वेब साइट,नोटिस बोर्ड एवं सार्वजनिक स्थलो पर विज्ञापन द्वारा प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त जिला/ विकासखंड/संकुल स्तर पर भी इसका प्रचार-प्रसार इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं प्रचार प्रसार के माध्यमों से किया जाये, जिससे वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के अधिक से अधिक बच्चे अधिनियम के इस प्रावधान से लाभान्वित हो सकें।

3.2 अधिनियम के इस प्रावधान के संबंध में जन प्रतिनिधियों एवं आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी जाये एवं उनका सहयोग प्राप्त किया जाये।

4. निःशुल्क प्रवेश हेतु कक्षावार उपलब्ध स्कूलों का प्रदर्शन:-

4.1 ग्राम/वार्ड, पडोस तथा विस्तारित पडोस :- निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया में पडोस एवं विस्तारित पडोस का निर्धारण करने हेतु मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलका मान्यता आवेदन में जिस ग्राम/वार्ड में स्थित दर्शाया गया है उस ग्राम/वार्ड के आधार पर उसके पडोस तथा विस्तारित पडोस को म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम,जीआईएस विभाग के उपलब्ध जीआईएस डाटा का उपयोग करते हुये प्रदर्शित किया जायेगा। जीआईएस के माध्यम से ग्राम/वार्ड का पडोस तथा विस्तारित पडोस स्वतः ही प्रदर्शित होता है। आवेदक ग्राम/वार्ड के स्कूलों को ही प्राथमिकता से चयन करें। ग्राम/ वार्ड में स्कूल उपलब्ध नहीं होने पर ही पडोस एवं अंतिम विकल्प के रूप में विस्तारित पडोस के स्कूलों का चयन करें, क्योंकि ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में प्रथम वरीयता में आवेदक जिस ग्राम/वार्ड का निवासी है उसी ग्राम/वार्ड के स्कूलों में आवेदन में प्राथमिकता के आधार पर आवंटन किया जाता है। विस्तारित

पड़ोस में स्थित स्कूलों में आवंटन के अवसर न्यूनतम होते हैं। आवेदक स्कूल चयन करते समय अपने निवास से दूरी अवश्य चेक कर लें तभी दूरी के पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस के विद्यालयों का चयन करें।

4.2 निःशुल्क प्रवेश हेतु स्कूलों का प्रदर्शन:—नवीन शिक्षा नीति अनुसार वर्तमान में यूडाइस पोर्टल पर शासकीय/अशासकीय स्कूलों का नामांकन, छात्र का पूर्ण विवरण प्रोफाइल सहित दर्ज किया जाना अनिवार्य किया गया है। इसके तहत यूडाइस पोर्टल पर स्कूल द्वारा स्वयं नामांकन संबंधी जानकारी दर्ज की गई है। इस हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक/राशिके/ आरटीई/2026/193 भोपाल दिनांक 09.01.2026 एवं पत्र क्रमांक/राशिके/आरटीई /2026/771 भोपाल दिनांक 03.02.2026 के माध्यम से अशासकीय स्कूलों को कक्षावार अध्ययनरत बच्चों की प्रोफाइल एवं त्रुटि रहित वास्तविक नामांकन दर्ज कराने हेतु निर्देश जारी कर अवगत कराया गया है। शिक्षा का अधिकार 12(1)(ग) के तहत वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश हेतु यूडाइस पोर्टल सत्र 2025-26 हेतु अशासकीय स्कूलों द्वारा दर्ज किये गये प्रथम प्रवेशित कक्षा के नामांकन का उपयोग किया जायेगा। स्कूल के मान्यता प्रमाण पत्र में अंकित स्कूल की सबसे छोटी कक्षा स्कूल प्रथम प्रवेशित कक्षा होगी। इसलिए अशासकीय स्कूल की जिम्मेदारी है कि वह यूडाइस पोर्टल पर अपने स्कूल में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का वास्तविक नामांकन अनिवार्य रूप से दर्ज करें।

प्रत्येक अशासकीय विद्यालय की प्रथम प्रवेशित कक्षा में दर्ज कुल नामांकन का 25 प्रतिशत सीटें, अधिनियम की धारा 12(1)(ग) अंतर्गत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के लिए आरक्षित होगी। यूडाइस के नामांकन के आधार पर यदि 25 प्रतिशत की गणना के उपरांत सीटों की संख्या दशमलव में आती है, तो उसे नियमानुसार राउंड ऑफ (Round Off) करते हुए पूर्णांक में परिवर्तित कर सीटें आरक्षित की जाएगी।

4.3 निम्न अशासकीय स्कूलों को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया गया है:—

1. स्कूल जिसकी मान्यता 2026-27 या उससे आगामी सत्रों की नहीं है।
2. स्कूल की मान्यता अनुसार स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा-6 है।
3. मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल जिनको कलेक्टर अनुमोदन उपरांत जिला परियोजना समन्वयक द्वारा अल्पसंख्यक स्कूल के रूप में लॉक किया है।
4. जिस स्कूल को सत्र 2026-27 में नवीन मान्यता प्राप्त हुयी है उन नवीन स्कूलों में अभी अन्य बच्चों के प्रवेश नहीं होने से, स्कूल संचालित होने की पुष्टि नहीं होने तथा यूडाइस में नामांकन शून्य होने के कारण इस सत्र में निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाना संभव नहीं है।
5. जिला परियोजना समन्वयक द्वारा यह सुनिश्चित करने के उपरांत कि कोई स्कूल सत्र 2026-27 की मान्यता प्राप्त करने के उपरांत भी संचालित नहीं हो रहा है, एवं स्कूल को जिला परियोजना समन्वयक द्वारा पोर्टल पर बंद मार्क किया गया है।

5. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया :-

निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही किए जा सकेंगे, कोई ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होगा। अतः आवेदक द्वारा किसी भी कार्यालय अथवा प्रायवेट स्कूल में आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नहीं की जाये। आवेदक आरटीई पोर्टल पर अपना आवेदन स्वयं ही ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।

- 5.1 आवेदन पत्र आरटीई पोर्टल पर भी उपलब्ध है जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा बगैर किसी पासवर्ड एवं बगैर शुल्क के डाउन लोड किया जा सकता है। संलग्न प्रारूप (परिशिष्ट-1 अनुसार)
- 5.2 आवेदकों द्वारा निःशुल्क प्रवेश हेतु अपना आवेदन पत्र आरटीई पोर्टल www.rteportal.mp.gov.in है, पर दर्ज किया जा सकेगा। एक आवेदक एक ही ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पात्र होगा। ऑनलाइन आवेदन में न्यूनतम 03 स्कूलों को विकल्प के रूप में दर्ज करना होगा एवं अधिकतम

- 10 स्कूलों का चयन किया जा सकता है। यदि किसी आवेदक के स्वयं के ग्राम/वार्ड, पड़ोस अथवा विस्तारित पड़ोस में तीन से कम अशासकीय स्कूल है तो तीन से कम स्कूल आवेदन में दर्ज करने की छूट रहेगी।
- 5.3 आवेदक द्वारा आवेदन में स्कूलों के नाम, प्राथमिकता क्रम से दर्ज किये जाये। स्कूलों का चयन करते समय आवेदक अपनी प्राथमिकता को सुनिश्चित करने के उपरांत ही अपना आवेदन पोर्टल पर लॉक करे।
- 5.4 ऑनलाइन आवेदन में आवेदक ध्यानपूर्वक ही स्कूलों को प्राथमिकता क्रम में दर्ज करें। वर्ष 2025 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत याचिका डब्ल्यूपी 6336/25 के अनुपालन में जिन अशासकीय स्कूलों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन मान्यता प्रदान की गई है। माननीय न्यायालय द्वारा शासन के पक्ष में निर्णय पारित होने पर ऐसे स्कूलों की मान्यता निरस्त हो सकती है। ऐसे विद्यालय में प्रवेशित बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश का अवसर दोबारा प्राप्त नहीं हो पायेगा। अतः प्रवेश के समय ऐसे स्कूल के चयन में पालकों द्वारा सावधानी पूर्वक निर्णय लिया जाये। ऐसे स्कूलों की सूची संबंधित जिले के जिला शिक्षा केन्द्र, बीआरसीसी कार्यालय तथा जनशिक्षा केन्द्र पर चरपा की जायेगी। यह सूची आरटीई पोर्टल पर भी प्रदर्शित की जाएगी। पालक आवेदन करते समय इस सूची का अवलोकन करें एवं संपूर्ण विचार करते हुए स्व-विवेक से निर्णय लेकर ही आवेदन के समय ऐसे स्कूल का चयन करें।
- 5.5 आवेदन फार्म के साथ आरक्षित कोटा से संबंधित दस्तावेज स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। आवेदक सुनिश्चित करें कि दर्ज की जा रही जानकारी संपूर्ण रूप से सही हो, जिस प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है वह पूर्णतः सत्य एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो। वैध एवं जीवित बीपीएल कार्ड होना चाहिए।
- 5.6 ऑनलाइन आवेदन पश्चात दस्तावेजों के परीक्षण के समय मूल दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। दर्ज जानकारी तथा मूल दस्तावेज में अंतर पाए जाने पर अपात्र किया जायेगा।
- 5.7 ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात यदि कोई आवेदक निर्धारित तिथि के अंदर सत्यापन केन्द्र जाकर मूल दस्तावेजों से सत्यापन नहीं कराता है तो उसका आवेदन स्वयं निरस्त हो जायेगा एवं ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सकेगा।
- 5.8 आवेदक की यह जिम्मेदारी होगी कि आवेदन करने के पहले यह पुष्टि कर ले कि उसे प्रवेश की पात्रता है, अर्थात वह वंचित समूह अथवा कमजोर वर्ग की श्रेणी का है और वह संबंधित स्कूल के ग्राम/वार्ड अथवा परिभाषित पड़ोस अथवा पड़ोस की विस्तारित सीमा के अंतर्गत निवासरत होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र है।
- 5.9 आवेदक द्वारा पोर्टल पर किये गये आवेदन की पोर्टल से जनरेटड पावती को अपने पास सुरक्षित रखा जायें। सत्यापन केन्द्र में सत्यापन के समय यह आवेदन पावती होना अनिवार्य है।
- 5.10 यदि कोई आवेदक पूर्व से ही निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किसी अशासकीय स्कूल में निःशुल्क अध्ययनरत है तो वह इस सत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन नहीं करें अन्यथा उनका आवेदन/प्रवेश निरस्त हो जायेगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पालक की होगी।

6. आवेदनों में त्रुटि सुधार हेतु विकल्प:-

आवेदन लॉक करने के पूर्व अच्छी तरह से संतुष्ट हो जायें कि आवेदन में दर्ज समस्त जानकारी सत्य हो। आवेदक द्वारा ऑनलाइन पंजीकृत आवेदन में यदि कोई त्रुटि हो गई है, तो आवेदक अपने आवेदन में निर्धारित समयावधि में पोर्टल पर त्रुटि सुधार विकल्प से त्रुटि सुधार कर सकते हैं।

6.1 पोर्टल पर त्रुटि सुधार हेतु आवश्यक जानकारी दर्ज करने के पश्चात आवेदक के पास उनके द्वारा मूल आवेदन में दर्ज मोबाईल पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, इस ओटीपी को दर्ज करते हुए आवेदक स्वतः अपने आवेदन में त्रुटि सुधार कर लॉक कर सकेंगे।

6.2 आवेदक को त्रुटि सुधार हेतु विकल्प, आरटीई पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। यदि आवेदक निर्धारित समयावधि में त्रुटि सुधार नहीं करता है तो यह माना जायेगा कि आवेदक पोर्टल पर दर्ज आवेदन से संतुष्ट है। यदि कोई त्रुटि है तो आवेदक जनशिक्षा केन्द्र में सत्यापन कराने के पूर्व त्रुटि सुधार कर लें। सत्यापन उपरांत तथा त्रुटि सुधार की निर्धारित तिथि के पश्चात त्रुटि सुधार नहीं होगा।

7. ऑनलाइन आवेदन के पश्चात सत्यापन:-

7.1 ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात पालक द्वारा आरटीई पोर्टल से आवेदन की पावती तथा सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड किया जायेगा। इसका प्रिंट 02 प्रति में निकालकर निर्धारित स्थल पर सत्यापन की अवधि तक आवेदन पत्र में अंकित जानकारी के अनुसार मूल दस्तावेज, फोटो, सत्यापन प्रपत्र तथा आवेदन प्राप्ति की ऑनलाइन पावती सहित कार्यालयीन समय में सत्यापन केन्द्र पर जाकर माता-पिता/अभिभावक द्वारा सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। मूल जन्म प्रमाण पत्र, आरक्षित कोटा प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना अनिवार्य है। मूल दस्तावेजों से सत्यापन न कराये जाने पर आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

7.2 सत्यापन के समय आवेदन में पंजीकृत मोबाइल नंबर-1 पर सत्यापन अधिकारी द्वारा ओटीपी मांगे जाने पर पालक द्वारा ओटीपी प्रदान किया जाये जिससे सत्यापन केन्द्र पर सत्यापन हो सके।

7.3 बीपीएल कार्ड का ध्यान पूर्वक परीक्षण करने के उपरांत जीवित बी.पी.एल. कार्ड धारक होने पर ही सत्यापन उपरांत पात्र किया जाये।

7.4 सत्यापन अधिकारी, आवेदक द्वारा आवेदन में अंकित दस्तावेजों का आवेदक के मूल दस्तावेजों से सत्यापन करेगे। आवेदक ने आर.टी.ई. में निःशुल्क प्रवेश हेतु जिस निर्धारित कोटा/निवास क्षेत्र/आयु अनुसार जिस कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन किया है, उसका सत्यापन उस कोटे, आयु, आधार कार्ड एवं निवास से संबंधित मूल प्रमाण पत्र से किया जायेगा।

7.5 सत्यापन अधिकारी द्वारा मोबाइल एप पर अपनी यूनिक आईडी तथा पासवर्ड से लॉगिन किया जायेगा एवं आवेदन पत्र में अंकित विवरण दर्ज किया जायेगा। सत्यापन केन्द्र पर जाने के पहले सत्यापन अधिकारी द्वारा आरटीई एमपी मोबाइल एप को लॉगिन करके देख ले यदि एप पर लॉगिन नहीं हो रहा है तो अपना पासवर्ड रिसेट कर लें। यदि मोबाइल नंबर बदल गया है तो मोबाइल नंबर को जिला शिक्षा केन्द्र के माध्यम से अपडेट करा सकते हैं। सत्यापन अधिकारी द्वारा केवल आरटीई मोबाइल एप से ही सत्यापन दर्ज किया जायेगा। यदि सत्यापन पंजीयन नहीं किया जाता है तो संबंधित सत्यापन अधिकारी व्यक्तिशः इसके जिम्मेदार होंगे। सत्यापन उपरांत दस्तावेज सत्य पाये जाने पर आवेदक को अंतिम रूप ऑनलाइन लॉटरी की प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु सत्यापन प्रपत्र में पात्र होने की पुष्टि कर हस्ताक्षर किये जायें।

7.6 यदि सत्यापन अधिकारी किसी भी प्रवेशार्थी को दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत पात्र नहीं पाता है, तो उसे अपात्र होने का कारण मोबाइल एप के माध्यम से कारण सहित दर्ज करना।

7.7 सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा सत्यापन प्रपत्र की एक प्रति में हस्ताक्षर करके बी.आर.सी.कार्यालय को रिकार्ड के रूप में प्रदान किया जाना अनिवार्य है।

7.8 कोविड-19 से प्रभावित हुये अनाथ बच्चों को आवेदन उपरांत प्रथमतः शत प्रतिशत बच्चों को सीट आवंटित की जाना है अतः इन बच्चों को तभी अपात्र किया जाये जब सत्यापन कर्ता अधिकारी पूर्ण रूप से जाँच करने के उपरांत अनाथ होने से संबंधित कारण से संतुष्ट नहीं हो इस संबंध में यदि कोई सहायता/मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो सत्यापन अधिकारी द्वारा संबंधित विकासखंड के विकासखंड श्रेत समन्वयक से संपर्क करने के उपरांत ही अपात्र किया जाये।

7.9 आवेदक की समग्र आईडी जिस ग्राम/वार्ड की है उसी ग्राम/वार्ड अथवा पड़ोस या विस्तारित पड़ोस के उपलब्ध स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं।

8. ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल का आवंटन :-

सत्यापन उपरांत पात्र पाये गये आवेदको को ही ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा। केन्द्रीकृत, रेण्डमाइजेशन, पारदर्शी ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से MPSEDC मध्यप्रदेश द्वारा छात्रों को चयनित अशासकीय स्कूल का आवंटन किया जावेगा।

8.1 सीट आवंटन के लिये प्रथम प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र होने पर उसी ग्राम तथा शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड के बच्चों की होगी। इसी प्रकार उसी ग्राम/वार्ड के बच्चों के प्रवेश के उपरांत यदि सीटें रिक्त रह जाती है तो पड़ोस की सीमा (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम की सीमा से लगे हुए ग्राम तथा नगरीय क्षेत्र की सीमा से लगे वार्ड, यदि कोई हो तो, तथा नगरीय क्षेत्र में वार्ड की सीमा से लगे हुए वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम, यदि कोई हो तो) में निवासरत बच्चों को प्रवेश की पात्रता होगी। यदि इसके उपरांत भी सीटें रिक्त रह जाती है तो ही विस्तारित पड़ोस की सीमा के आवेदक को प्रवेश की पात्रता होगी। अतः आवेदक सर्वप्रथम अपने ग्राम/वार्ड में उपलब्ध स्कूलों का ही अधिकतम चयन करें।

9. आवेदक को स्कूल का आवंटन की सूचना तथा आवंटन पत्र डाउनलोड करना:-

ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के उपरांत आवंटित स्कूल की सूचना आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर 'डै' के माध्यम से प्रदान की जायेगी। आवेदक अपना आवंटन पत्र पोर्टल से स्वयं ही डाउनलोड करेगे।

10. आवंटन उपरांत आवंटित स्कूल में प्रवेश एवं स्कूल द्वारा मोबाइल एप से एडमीशन रिपोर्टिंग :-


10.1 ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चयनित बच्चे द्वारा समय सीमा में आवंटन पत्र की प्रति, आरटीई कोटा का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आवेदन में दर्ज दो पासपोर्ट फोटो ग्राफ लेकर उनको आवंटित स्कूल में उपस्थित होना होगा। बच्चों के उपस्थित होने पर उसी समय स्कूल द्वारा अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड से बच्चे की आरटीई मोबाइल एप से फोटो लेकर एडमीशन रिपोर्टिंग की जायेगी। इसके पश्चात आवेदक के पास ओटीपी आयेगा आवेदक के द्वारा ओटीपी से पुष्टि करने पर प्रवेश मान्य होगा। जिन बच्चों की एडमीशन रिपोर्टिंग निर्धारित समयवाधि में संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा की जायेगी उनका ही प्रवेश मान्य होगा।

10.2 जिस बच्चे को स्कूल का आवंटन होता है एवं वह स्कूल में निर्धारित समयवाधि में प्रवेश हेतु उपस्थित तो होता है परन्तु मोबाइल एप से एडमीशन रिपोर्टिंग दर्ज करने की कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा नहीं की जाती है, तो ऐसी स्थिति में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने की समस्त जिम्मेवारी संबंधित अशासकीय स्कूल की होगी। उक्त स्कूल को पात्र आवंटनी को प्रवेश प्रदान करते हुये शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुसार कक्षा-8 तक अध्यापन निःशुल्क कराना अनिवार्य होगा। संबंधित स्कूल को छात्र के अध्यापन हेतु किसी भी प्रकार का भुगतान शासन द्वारा वहन नहीं किया जायेगा।

10.3 आवंटित बच्चे को प्रवेश देने से यदि किसी स्कूल द्वारा मना किया जाता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित स्कूल के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाये।

आवेदको को मदद हेतु विकासखंड एवं जिला स्तर पर एक हेल्प डेस्क स्थापित की जाये। कृपया उक्त प्रक्रिया अनुसार नियमानुसार एवं पूर्ण पारदर्शी तरीके से समयवाधि में प्रवेश की कार्यवाही संपन्न कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न:-आवेदन पत्र प्रारूप




(हरजिंदर सिंह)

संचालक

राज्य शिक्षा केन्द्र


प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल।
4. आयुक्त जनसंपर्क विभाग म.प्र. भोपाल की और दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन बावत्।
5. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
6. आयुक्त, महिला बाल विकास विभाग, भोपाल म.प्र.
7. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।
8. प्रबंध संचालक, MPSEDC अरेरा हिल्स भोपाल की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही बावत्।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले, म.प्र.।
10. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग म.प्र.।
11. जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले म.प्र.।
12. विकासखंड श्रेत समन्वयक, जनपद शिक्षा केन्द्र, समस्त विकासखंड म.प्र. की ओर उपरोक्तानुसार कार्यवाही बावत्।



संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(C)के अंतर्गत कमज़ोर एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन पत्र Year 2026-27



A. प्रवेशार्थी का विवरण कृपया संपूर्ण जानकारी (English Capital Letter) As per Aadhar Card

1. परिवार की 8 अंको की समग्र फेमली आईडी (अनिवार्य)
2. प्रवेशार्थी का 9 अंको का समग्र आईडी (अनिवार्य)
4. पिता का समग्र आईडी
5. माता का समग्र आईडी
6. प्रवेशार्थी का 12 अंको का आधार नंबर (अनिवार्य)

B. प्रवेशार्थी के निवास एवं संपर्क की जानकारी (पालक के वर्तमान निवास प्रमाणपत्र के अनुसार) केपीटल लेटर में भरे

- a) जिला.....
- b) जनपद पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगरनिगम.....
- c) ग्राम पंचायत/जोन क्रमांक ग्राम/वार्ड.....
- d) मोहल्ला/बसाहट.....
- e) मकान एवं..... पता.....
- f) सीट आवंटन की सूचना देने हेतु मोबाइल-1
- g) सीट आवंटन की सूचना देने हेतु मोबाइल-2
- h) ईमेल(यदि हो तो).....

C. जन्म प्रमाणपत्र के अनुसार प्रवेशार्थी एवं उसके माता,पिता,अभिभावक की जानकारी केपीटल लेटर में भरे

- 1) प्रवेशार्थी का प्रथम नाम
- 2) उपनाम (Surname)
- 3) जन्मतिथि DD/MM/YYYY दिनांक माह वर्ष
- 4) लिंग:- बालक / बालिका लिंग:- बालक
- 5) पिता का नाम माता का नाम
- 6) Caste- General/OBC/SC/ST-----

D. प्रवेश हेतु आरक्षित श्रेणी संवर्ग:- श्रेणी का कोड दर्ज करें:-

- 1.वर्तमान स्थिति में जीवित बीपीएल कार्डधारी परिवार(अन्तोदयकार्डधारी) 2.अनुसूचितजाति
- 3.अनुसूचितजनजाति 4.विमुक्तजाति 5.वनग्राम पट्टाधारी 6. दिव्यांग (CWSN) 7. महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा पंजीकृत अनाथ बच्चे 8. HIV ग्रस्त बच्चे

उपरोक्त श्रेणियों (उपरोक्त सरल क्रमांक 7,8 को छोड़कर) के संबंध में शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेशार्थी के माता या पिता अथवा अभिभावक के नाम पर जारी प्रमाण पत्र का विवरण

Kiran

(i) क्रमांक..... दिनांक माह वर्ष

जारीकर्ता कार्यालय एवं अधिकारी का पदनाम-----

(ii) यदि प्रवेशार्थी विशेष आवश्यकता (CWSN) केटेगरी का है तो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार दिव्यांगता का प्रतिशत%----- दिव्यांगता का प्रकार

(iii) यदि प्रवेशार्थी HIV ग्रस्त केटेगरी का है तो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र क्रमांक..... दिनांक माह

(IV) कोविड-19 से माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ बच्चे का विवरण बच्चे के माता-पिता/अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र

Covidbalkalyan.mp.gov.in पर पंजीयन का पंजीयन क्रमांक.....

माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु दिनांक माह वर्ष-

प्रवेश हेतु कक्षा -नर्सरी/ केजी-1/पहली(1) -----

E. प्रवेशार्थी द्वारा प्रवेश हेतु आवेदित स्कूल चयन का विवरण प्राथमिकता क्रम अनुसार निम्नानुसार है:-

सूचना:-स्कूल का आवंटन सर्वप्रथम आवेदक जिस ग्राम/वार्ड का है उसके ग्राम/वार्ड के स्कूल ही चयन को प्राथमिकता के आधार पर चयनित करें। पडोस एवं विस्तारित पडोस के स्कूल में आवंटन होने की संभावना न्यूनतम होती है। सर्वप्रथम ग्राम/वार्ड के ही आवेदक को स्कूल का आवंटन होगा इसके पश्चात पडोस के आवेदक एवं अंतिम विकल्प के रूप में ही विस्तारित पडोस के स्कूल का आवंटन होगा।

स्कूल की प्राथमिकता क्रमांक	चयनित स्कूल का स्कूल आईडी (PS-----)	प्रवेश हेतु आवेदित स्कूल का नाम एवं पता (प्राथमिकता क्रमानुसार ही स्कूल के नाम दर्ज करें)
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

माता/पिता/अभिभावक द्वारा घोषणा

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन में मेरे द्वारा दर्ज प्रवेशार्थी स्वयं के संबंध में दी गई समस्त जानकारी सही हैं। मेरे द्वारा एक ही आवेदन किया जा रहा है, अन्य आवेदन नहीं किया गया है। मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदक पूर्व में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(C) के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क अध्ययन नहीं किया है एवं वर्तमान में अन्य किसी भी प्राइवेट स्कूल में अधिनियम की धारा 12(1)(C) के तहत निःशुल्क प्रवेशित नहीं है। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी पाये जाने की स्थिति के लिये मैं सदैव जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी। यदि किसी भी प्रकार की असत्य जानकारी पायी जाती है तो मेरे बच्चे की सीट आवंटन निरस्त कर दी जाये एवं मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही के लिये मैं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

आवेदन दिनांक

(माता/पिता/अभिभावक) का नाम-----

आवश्यक सूचना-

1. आवेदक पूर्व में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(C) के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क अध्ययन किया है अथवा वर्तमान में किसी भी प्राइवेट स्कूल में अधिनियम की धारा 12(1)(C) के तहत निःशुल्क प्रवेशित है तो आवेदन करने हेतु पात्र नहीं है
2. आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत पावती एवं सत्यापन प्रपत्र अपने पास सुरक्षित रखे।
3. आनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदक द्वारा आरटीई पोर्टल से सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड किया जायेगा एवं निर्धारित दिनांक तक आवेदन पत्र में अंकित जानकारी के अनुसार मूल दस्तावेज, फोटो, सत्यापन प्रपत्र तथा आवेदन प्राप्ति की आनलाइन पावती सहित अपने आवेदन में चयन किये गये जनशिक्षा केन्द्र है वहा पर सत्यापन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है।
4. आनलाइन आवेदन के पश्चात निर्धारित समय में मूल दस्तावेजों सहित सत्यापन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है। निर्धारित समयावधि में दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होने पर आवेदन निरस्त माना जायेगा।
5. सत्यापन के समय प्रवेशार्थी का नाम, माता, पिता का नाम, जन्म दिनांक, निवास के प्रमाण की जानकारी, आरटीई कोटा का अंकित जानकारी एवं मूल दस्तावेजों से मिलान न होने की स्थिति में आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा।
6. आवेदन पत्र में मोबाइल नंबर-1 दर्ज किया है सत्यापन के समय इस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आयेगा अतः इस मोबाइल को साथ में ले जाना अनिवार्य है
7. एक प्रवेशार्थी द्वारा एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, यदि एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तो आवेदन निरस्त हो जायेगा।